न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर—03 / 2021 (2021 / 61) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—गेहरीलाल पिता लालचन्द महाजन निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—मनोहरलाल पिता लालचन्द महाजन निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित

1. हरिश टेलर — अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 22.07.2021

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम आशाहोली पटवार हल्का आशाहोली तहसील रायपुर की सीमा में प्रार्थीगण के पिता लालचन्द पिता चुन्नीलाल महाजन निवासी आशाहोली के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे की अन्य आराजियात के साथ साबिक आराजी संख्या 1241 / 1क रकबा 5 बिस्वा किस्म भू.रे.गो. स्थित थी। उक्त वर्णित साबिक आराजी संख्या 1241 / 1क को प्रार्थीगण के पिता लालचन्द ने दिनांक 14.06.1989 को प्रभारी अधिकारी राजस्व कैम्प के आदेश कंमाक / 89 / 65 दिनांक 14.06.1989 के जरिये आबादी सम्परिवर्तित करवाई जिसका नामान्तरणकरण संख्या 1104 दिनांक 04.08.1989 को खोला गया जिसमें उक्त वर्णित भूमि को बिलानाम आबादी दर्ज किया गया। प्रमाण में नकल जमाबन्दी संवत 2046 से 2049 व नामान्तरणकरण संख्या 1104 की प्रमाणित प्रतिलिपी साथ प्रस्तुत है। उक्त वर्णित आराजी को आबादी सम्परिवर्तन करवाने के पश्चात् हमारे पिता लालचन्दजी ने इस पर रिहायशी मकानात का निमार्ण करवाया जिसमें लालचन्दजी ने परिवार सहित निवास किया, फिर लालचन्दजी की मृत्यु हो गई। प्रार्थीगण व सोहनलाल उनके वारीस है किन्तु पारिवारीक विभाजन में उक्त वर्णित मकानात हम प्रार्थीगण के हिस्से में आये है। उक्त वर्णित भूमि को आबादी सम्परिवर्तन करने के पश्चात् आगामी रोटेशन की जमाबंदी में उक्त साबिक आराजी का रकबा हम प्रार्थीगण के रकबे में से कम होकर राजकीय बिलानाम भूमि के खाते में दर्ज हुआ है। प्रमाण में जमाबंदी संवत 2050 से 2053 तक साथ प्रस्तुत है। तहसील रायपुर का नवीन बन्दोबस्त हुआ, जिससे ग्राम आशाहोली का भी नवीन भू—प्रबन्ध किया गया। जिससे प्रार्थीगण की उक्त साबिक आराजी संख्या 1241 / 1क रकबा 5 बिस्वा के नवीन नम्बर 2023 रकबा 0.06 है0, कायम किये गये। सेटलमेन्ट के दौरान जो नवीन रोटेशन की जमाबंदी कायम की गई उसमें बिना किसी विधिक अधिकार एवं बिना किसी विधिक आदेश के उक्त नवीन आराजी संख्या 2023 रकबा 0.06 है0 की किस्म भू.रे.गो. आबादी से परिवर्तित कर किस्म रे.बी. दर्ज कर [illegible] है राजस्व कर्मचारियो व भू प्रबन्ध अधिकारियो को साबिक प्रविष्टियो व साबिक राज[illegible] में परिवर्तन करने का कोई कानुनी अधिकार नही है फिर भी उन्होने [illegible] आज दिन तक आबादी भूमि किस्म बिलानाम काबिल काश्त दर्ज [illegible] है। जिससे उक्त भूमि की इन्द्राज दुरस्ती करवाया जाकर बिलानाम [illegible] बजाय गैर काबि[illegible]त आवासीय प्रयोजनार्थ भू.रे.गो. आबादी किस्म दर्ज करवाया जाना नितान्त आवश्यक हो गया है। अतः श्रीमान से सादर प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त वर्णित ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.08.06 11:03:12 IST
Reason: SelfAttested

आशाहोली की नवीन आराजी संख्या 2023 रकबा 0.06 है0 किस्म रे.बी. के बजाय बिलानाम आबादी व किस्म भू.रे.गो. आबादी दर्ज करने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम सादिर फरमाया जावें व भूमि प्रार्थीगण के नाम तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करवाया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 15.03.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटीस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी तहसीलदार रायपुर द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया।

तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत जवाब में निवेदन किया कि ग्राम आशाहोली के आराजी संख्या 2023 रकबा 0.06 है0 भूमि रे.बी. बिलानाम काबिल काश्त में प्रार्थीगण गेहरीलाल, मनोहरलाल पिता लालचन्द महाजन के मकान बने हुए है। कब्जे सम्बन्धी मौके पर कोई विवाद नही है। आराजी संख्या 2023 रकबा 0.06 है भूमि पूर्व में भू.रे.गो. दर्ज थी जिसे प्रार्थीगण के पिता लालचन्द महाजन ने आबादी में दर्ज कराई आबदी में दर्ज कराने पर भूमि की किस्म भी आबादी दर्ज हुई किन्तु वर्तमान भू प्रबन्ध में किस्म आबादी के बजाय रे.बी. दर्ज कर दी गई जो पुनः आबादी दर्ज किया जाने में कोई आपत्ति नही की।

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

मैने पत्रावली में संलग्न साबिक व नवीन राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया तो पाया कि ग्राम आशाहोली तहसील रायपुर की साबिक आराजी संख्या 1141/1क श्री लालचन्द पिता चुन्नीलाल के खाते में दर्ज रेकार्ड थी खातेदार द्वारा उक्त रकबे को आबादी में परिवर्तन कराने से जरिये नामान्तकरण 1104 को उक्त रकबा बिलानाम आबादी के रूप में दर्ज हुआ और इस नामान्तकरण के आधार पर जमाबन्दी 2046 से 2049 में इसका अमल होकर आगामी रोटेशन संवत 2050 से 2053 में उक्त रकबा बिलानाम के खाते में किस्म भू.रे.गो. आबादी के रूप में दर्ज हुई। नवीन भू प्रबन्ध में उक्त आराजी संख्या 1241/1क रकबा 5 बिस्वा के नवीन नम्बर 2023 रकबा 0.06 है0 भूमि दर्ज हुई जो राजस्व रेकार्ड में वर्तमान में बिलानाम के रूप में दर्ज है किन्तु उक्त भूमि की किस्म वर्गीकरण भू प्रबन्ध विभाग द्वारा आबादी के बजाय रे.बी. दर्ज कर दी गई। तहसीलदार रायपुर की रिपोर्ट के अनुसार मौके पर उक्त भूमि पर प्रार्थीगणो के मकान बने हुए होकर आबादी के उपयोग मे आ रही है। तहसीलदार रायपुर के द्वारा प्रकरण में विचाराधीन खसरा नम्बर 2023 रकबा 0.06 है0 भूमि की किस्म रे.बी. के बजाय पूर्वानुसार आबादी भू.रे.गो. दर्ज किया जाना उचित बताया किन्तु भूमि का सम्परिवर्तन होने पर भूमि किस्म परिवर्तित होती है जो भू.रे.गो. के बजाय मात्र आबादी दर्ज किया जाने हेतु प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रेकार्ड एवं मौके अनुसार स्वीकार किया जाने में कोई आपत्ति नही होने से प्रार्थना स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया है कि पटवार हल्का आशाहोली के ग्राम आशाहोली नवीन आराजी संख्या 2023 रकबा 0.06 है0 भूमि को बिलानाम काबिल काश्त किस्म रे.बी. के बजाय बिलानाम आबादी किस्म आबादी के रूप में राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावे। इसी अनुसार हुक्मनामा जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को आदेश की प्रति के [illegible] जावें।

निर्णय आज दिनांक [illegible] लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.08.06 11:03:12 IST
Reason: SelfAttested

22/07/2021

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर (भीलवाड़ा)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर—03 / 2021 (2021 / 61) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—गेहरीलाल पिता लालचन्द महाजन निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

2—मनोहरलाल पिता लालचन्द महाजन निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धाराः136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट.

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा इन्द्राज दुरस्ती बाबत्

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया है कि पटवार हल्का आशाहोली के ग्राम आशाहोली नवीन आराजी संख्या 2023 रकबा 0.06 है0 भूमि को बिलानाम काबिल काश्त किस्म रे.बी. के बजाय बिलानाम आबादी किस्म आबादी के रूप में राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावे।

हुक्मनामा आज दिनांक 22.07.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया।

22.07.2021

(सुन्दर लाल बम्बोडा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

रायपुर, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.08.06 11:03:12 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर—03/2021 (2021/61) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—गेहरीलाल पिता लालचन्द महाजन निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—मनोहरलाल पिता लालचन्द महाजन निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धाराः136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट.

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा इन्द्राज दुरस्ती बाबत्

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया है कि पटवार हल्का आशाहोली के ग्राम आशाहोली नवीन आराजी संख्या 2023 रकबा 0.06 है0 भूमि को बिलानाम काबिल काश्त किस्म रे.बी. के बजाय बिलानाम आबादी किस्म आबादी के रूप में राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावे।

हुक्मनामा आज दिनांक 22.07.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया।

22.07.2021
(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.08.06 11:03:12 IST
Reason: SelfAttested